न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 37 / 2022

जीसीएमएस संख्या: 2022 / 00038

निर्णय दिनांक: 17.10.2025

1. धनेषकुमार पुत्र किसनाराम जाति जांगिड निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...........वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति जांगिड निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. कुणणी पुत्री हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. तिलोकाराम पुत्र हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. द्वारकाराम पुत्र हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
5. बनारसी पुत्री हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
6. मनोजकुमार पुत्र दुलाराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
7. रामनिवास पुत्र दुलाराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
8. लालीदेवी पत्नी सुभाष जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

लिछमा पुत्री हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

10. [illegible]ानादेवी पुत्री दुलाराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
11. सांवरमल पुत्र हीराराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
12. शाखा प्रबबन्धक पंजाब नेशल बैंक शाखा जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

14. नेमीचंद पुत्र किशनाराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
15. विमलादेवी पत्नी किशनाराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
16. हुलासचन्द पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी ग्राम न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.....गौण प्रतिवादीगण

उपस्थितः

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से पैरोकार राज।
4. गौणप्रतिवादी संख्या 14 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांकः 17.10.2025

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं गौण प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 एवं प्रतिवादीगण 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नंबर 1188/245 रकबा 1.0691 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1189/245 रकबा 0.3262 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1191 / 248 रकबा 0.0120 हैक्टेयर व खसरा नंबर 246 रकबा 2.5290 हैक्टेयर व व खसरा नंबर 249 रकबा 2.2761 हैक्टेयर व खसरा नंबर 283 रकबा 2.3646 हैक्टेयर व खसरा नंबर 284 तादादी 2.5290 हैक्टेयर व खसरा नंबर 348 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खसरा नंबर 349 तादादी 2.5290 हैक्टेयर वाके रोही न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हें वाद में वादगत खेतों से सम्बोधित किया जा रहा है। वादगत खसरों में वादी का 1/12 हिस्सा व गौण प्रतिवादी संख्या संख्या 14 का 1/12 व गौण प्रतिवादी संख्या 15 का 1/12 हिस्सा व गौण प्रतिवादी संख्या 16 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 3 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा नियत है। वादी एव गौण प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का मौखिक विभाजन किया मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 का खान–पान, लेन–देन, रहन–सहन व अलग–अलग है। संयुक्त खातेदारी रहने के कारण वादी को सरकारी फायदे से महरूम रहना पड़ रहा है तथा लगान आदि चुकाने में भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को वादगत भूमि का विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने इंकार कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने वादी को ऐलानियां तौर पर धमकियां दी कि वोह वादी व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से पांति व खातेदारी भूमि से जबरन बलपुर्वक बेदखल करेगें व कब्जा करेंगें जो कि वाद हैतुक है।

प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी व प्रतिवादीगण का अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनुवानी प्रकरण में वादी के वाद प्रस्तुत करते समय भूलवष खेत खसरा नम्बर 1192/248 तादादी 2.1856 है0 का अंकन नहीं किया गया। उपरोक्त खसरा नम्बर 1192/248 में अंकित व वादी के वाद में अंकित हिस्सा समान ही है जिससे वाद में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी द्वारा अनुवानी प्रकरण में खसरा संख्या 1192/248 तादादी 2.1856 है0 का संयोजन कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया गया व अतिरिक्त आदेश जारी किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस पर सुना गया। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी सवत् 2076–2079 रोही न्यामा खाता संख्या 341, व जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 448 रोही न्यामानक्शा, विभाजन प्रस्ताव का

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान का कब्जा काश्त है। रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1188/245 रकबा 1.0691 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1189/245 रकबा 0.3262 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1191 / 248 रकबा 0.0120 हैक्टेयर व खसरा नंबर 246 रकबा 2.5290 हैक्टेयर व खसरा नंबर 249 रकबा 2.2761 हैक्टेयर व खसरा नंबर 283 रकबा 2.3646 हैक्टेयर व खसरा नंबर 284 तादादी 2.5290 हैक्टेयर व खसरा नंबर 348 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खसरा नंबर 349 तादादी 2.5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1192/248 तादादी 2.1856 है0 वाके रोही न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। बैंक हित को प्रभावित नहीं किया जाये तथा रहन की प्रविष्ठि यथावत रहेगी। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सरे ईजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़

व इजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

धनेषकुमार बनाम ओमप्रकाश आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 37 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री विजेन्द्रसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 1188/245 रकबा 1.0691 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1189/245 रकबा 0.3262 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1191 / 248 रकबा 0.0120 हैक्टेयर व खसरा नंबर 246 रकबा 2.5290 हैक्टेयर व खसरा नंबर 249 रकबा 2.2761 हैक्टेयर व खसरा नंबर 283 रकबा 2.3646 हैक्टेयर व खसरा नंबर 284 तादादी 2.5290 हैक्टेयर व खसरा नंबर 348 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खसरा नंबर 349 तादादी 2. 5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1192/248 तादादी 2.1856 है0 वाके रोही न्यामां तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। बैंक हित को प्रभावित नहीं किया जाये तथा रहन की प्रविष्ठि यथावत रहेगी। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

... मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17. **माह 10 2025**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

मुहर

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना